संख्याः 32/2025/1145ई-2/तेरह-2025-01/1018-1664114

प्रेषक,

दुर्गा सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊःदिनांकः 29 अक्टूबर, 2025

विषयः- शीरा वर्ष 2025-26 के लिए शीरा नीति के निर्धारण के संबंध में।

महोदय,

कृपया आगामी शीरा वर्ष 2025-26 के लिए सुझाव विषयक आपके पत्र संख्याः जी-13/दस-185/शीरा नीति/2025-26, दिनांक 03-10-2025 के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त शीरा वर्ष 2025-26 के लिए शीरा नीति नीचे लिखित प्रस्तर-5 में उल्लिखित व्यवस्थानुसार निर्धारित की जाती है।

2. उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण अधिनियम, 1964 (यथासंशोधित) की धारा-8 के अन्तर्गत शीरा नियंत्रक एवं आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश को प्रदेश की चीनी मिलों/खांडसारी विनिर्माणकर्ता इकाईयों में उत्पादित होने वाले शीरे के विक्रय, आपूर्ति के सम्बन्ध में राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से निर्देश दिये जाने का अधिकार है।

3. वर्तमान में उत्तर प्रदेश में उत्पादित गन्ने की पेराई हेतु पोर्टल पर 125 चीनी मिलें तथा 51 खाण्डसारी इकाईयां पंजीकृत हैं। इन चीनी मिलों में से 24 चीनी मिलें उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ की, 03 चीनी मिलें उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम की एवं 98 चीनी मिलें निजी क्षेत्र की हैं। पंजीकृत चीनी मिल इकाईयों में से शीरा वर्ष 2024-25 में 03 चीनी मिलें संचालित नहीं हो रही हैं तथा 122 चीनी मिलें एवं 42 खाण्डसारी चीनी विनिर्माणकर्ता इकाईयां कार्यरत रहीं हैं।

4. शीरा वर्ष 2024-25 में प्रदेश में शीरे की उपलब्धता निम्नवत् हैः-

4.1 **प्रदेश में शीरे की उपलब्धताः-** **(लाख कुं. में)**

विवरण	**वर्ष 2024-25**
शीरा वर्ष में प्रारम्भिक अवशेष	18.89
शीरा वर्ष में उत्पादन	487.00
शीरे की कुल उपलब्धता	**505.89**

शीरा वर्ष 2024-25 में सी-हैवी एवं बी-हैवी शीरे के उत्पादन का विवरण निम्नवत् हैः-

क्र.सं.	शीरे की श्रेणी	उत्पादन (वर्ष 2024-25) (लाख कुं. में)	उत्पादन प्रतिशत
1.	सी-हैवी	295.50	60.68
2.	बी-हैवी	191.50	39.32
	योग	**487.00**	

शीरा वर्ष 2024-25 में हुए शीरे के उत्पादन के अनुसार चीनी मिलों को श्रेणीवार विभक्त करने पर 487.00 लाख कुन्टल का उत्पादन हुआ है। चीनी मिलों का श्रेणीवार विवरण निम्नवत है:-

क्र.सं.	श्रेणीवार चीनी मिलों का विवरण	कार्यरत चीनी मिलों की संख्या	शीरा सत्र 2024-25 में उत्पादित शीरा (लाख कुं.)
1	2	3	4
1	फेडरेशन की सह आसवनी वाली चीनी मिलें	08	15.22
2	फेडरेशन की एकल चीनी मिलें	15	22.08
3	कारपोरेशन	03	07.22
4	निजी स्वामित्व की एकल चीनी मिलें	10	21.40
5	निजी स्वामित्व की एकल/ग्रुप की चीनी मिलें	11	60.21
6	निजी स्वामित्व की एकल/ग्रुप की सह आसवनी वाली चीनी मिलें	75	360.87
	योग	**122**	**487.00**

शीरा सत्र 2025-26 हेतु गन्ना आयुक्त उ.प्र. द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार सी-हैवी शीरा 355.9 लाख कुं. एवं बी-हैवी शीरे का 230.0 लाख कुं. कुल 585.9 लाख कुन्टल शीरे का उत्पादन अनुमानित है, जो वर्ष 2024-25 में वास्तविक उत्पादन 487.00 लाख कुन्तल से लगभग 98.9 लाख कुन्तल अधिक है। गन्ना विभाग द्वारा उपलब्घ करायी गयी सूचना के अनुसार स्थिति निम्नवत् है:-

विवरण	**वर्ष 2025-26**	**शीरे की अनुमानित रिकवरी दर**
पेरे गये गन्ने की मात्रा (लाख कुं. में)	10,650 अनुमानित	सी-हैवी शीरा 5.43 प्रतिशत
		बी-हैवी शीरा 6.38 प्रतिशत

4.2 **देशी मदिरा हेतु शीरे की आवश्यकता:-**

(1) प्रदेश में शीरे का उत्पादन दो श्रेणियों में किया जाना सम्भावित है:-

(क) बी-हैवी शीरा

(ख) सी-हैवी शीरा

वर्ष 2025-26 में सी-हैवी एवं बी-हैवी शीरे का अनुमानित उत्पादन-

क्र.सं.	शीरे की श्रेणी	शीरे की मात्रा (लाख कुं. में)	उत्पादन प्रतिशत
1	सी-हैवी	355.9	60.74
2	बी-हैवी	230.0	39.26
	योग	**585.9**	

(2) वित्तीय वर्ष 2024-25 में आबकारी राजस्व का लगभग 48.5 प्रतिशत अंश देशी मदिरा से प्राप्त हुआ है। अतः यह आवश्यक है कि समस्त देशी मदिरा आपूर्तक आसवनियों को उनकी आवश्यकतानुसार समुचित मात्रा में शीरा उपलब्ध कराया जाय। इसी परिप्रेक्ष्य में शीरा सत्र 2024-25 में देशी मदिरा उत्पादक आसवनियों के लिए बी-हैवी शीरे के टर्म में (बी-हैवी+सी-हैवी को जोड़कर) आगणन करके बी-हैवी शीरे की निर्धारित होने वाली कुल मात्रा के आधार पर प्रारम्भ में

19 प्रतिशत तथा दिनांक 25.08.2025 को पुनआँकलन कर 18 प्रतिशत शीरा आरक्षित किया गया है।

शीरा वर्ष 2025-26 के लिए बी-हैवी शीरे के टर्म में आरक्षित शीरे की आवश्यकता निम्नानुसार आंकलित होती है:-

क्र.	विवरण	वित्तीय वर्ष 2025-26	आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु 15 प्रतिशत की अनुमानित वृद्धि
1	देशी मदिरा की अनुमानित वार्षिक खपत (करोड़ ब.ली. में)	99.83 (करोड़ ब.ली. में)	114.80 (करोड़ ब.ली. में)
2	देशी मदिरा की अनुमानित वार्षिक खपत के सापेक्ष बी-हैवी शीरे की आवश्यकता {(क्रमांक-1×0.36)÷31} (लाख कुं.)	115.93 (लाख कुं.)	133.32 (लाख कुं.)
3	मासिक बी-हैवी शीरे की आवश्यकता (क्रमांक-2÷12) (लाख कुं.)	9.66 (लाख कुं.)	11.11 (लाख कुं.)

विगत तीन वित्तीय वर्षों में देशी मदिरा के उपभोग में गतवर्ष के सापेक्ष औसत वृद्धि 10.83 प्रतिशत रही है। वित्तीय वर्ष 25-26 में भी अद्यतन देशी मदिरा के उपभोग में वृद्धि 7.7 प्रतिशत है। अतः आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु देशी मदिरा के उपभोग में अनुमानित वृद्धि 15 प्रतिशत ली गयी है। चूंकि माह नवम्बर में चीनी मिलों के प्रारम्भ होने में विलम्ब के कारण शुरूआत में आरक्षित शीरे की उपलब्धता नहीं हो पाती है, जिसके लिए अनुमानित बी-हैवी शीरे की खपत का 5 प्रतिशत बफर स्टॉक 6.67 लाख कुं. की आवश्यकता पड़ेगी।

एक शीरा वर्ष में दो वित्तीय वर्ष पड़ते हैं इसलिए शीरा वर्ष 2025-26 हेतु उपरोक्त तालिका के क्रमांक-(2) पर आंकलित बी-हैवी शीरा की आवश्यकता का वित्तीय वर्षवार निम्नानुसार आगणन किया गया है:-

बिन्दु	अवधि	बी-हैवी शीरा (लाख कुं. में)
(अ)	नवम्बर, 25 से मार्च, 26 (9.66×5)	48.30
(ब)	अप्रैल, 26 से अक्टूबर, 26 (11.11×7)	77.77
(स)	नवम्बर, 2026 के लिए बफर स्टॉक	6.67
	योग	**132.74**
(द)	गत शीरा वर्ष (वर्ष 2024-25) से अग्रेनीत आरक्षित शीरे की अनुमानित मात्रा	12.00
(य)	शीरा वर्ष 2024-25 में ग्रेन से निर्मित देशी मदिरा के दृष्टिगत शीरे की बचत की अनुमानित मात्रा (लाख कुं. में)	15.27
	योग (अ)+(ब)+(स) - {(द)+(य)}	**105.47**

h

(3) उपरोक्त आधार पर शीरा वर्ष 2025-26 में 01 नवम्बर 2025 से मार्च 2026 तक 48.30 लाख कुं. तथा अप्रैल, 2026 से अक्टूबर, 2026 तक 77.77 लाख कुं. तथा माह नवम्बर, 2026 के लिए बफर स्टॉक 6.67 लाख कुं. बी-हैवी शीरे की आवश्यकता आंकलित होती है तथा वर्ष 2024-25 में सी-हैवी शीरे का अधिक उत्पादन होने के कारण आगणित आरक्षित शीरे की अनुमानित मात्रा 12.00 लाख कुं. बी-हैवी शीरा की मात्रा वर्ष 2025-26 के लिए अग्रेनीत होने की संभावना है। इस प्रकार शीरा वर्ष 2025-26 के लिए बी-हैवी शीरे की कुल 105.47 लाख कुं. की आवश्यकता आंकलित होती है, तद्नुसार शीरा वर्ष 2025-26 के लिये कुल वास्तविक शीरा उत्पादन (बी-हैवी+सी-हैवी को जोड़कर) 585.9 लाख कुं. के आधार पर 105.47×100/585.9=18.00 अर्थात 18.00 प्रतिशत बी-हैवी शीरे के टर्म में आरक्षण की आवश्यकता आंकलित होती है, जिसे शासन द्वारा यथावश्यकता शीरा वर्ष के दौरान कभी भी घटाया या बढ़ाया जा सकता है।

5. **<u>शीरा वर्ष 2025-26 हेतु शीरा नीति का निर्धारण:-</u>**

शीरा वर्ष 2025-26 के लिए शीरा नीति का निर्धारण निम्नवत् किया जाता है:-

5.1 **शीरा वर्ष 2024-25 में उपलब्ध शीरे की मात्रा पर आरक्षण एवं सम्भरण:-**

5.1.1 प्रत्येक चीनी मिल अथवा समूह द्वारा शीरा वर्ष 2025-26 में कुल वास्तविक शीरा उत्पादन (बी-हैवी+सी-हैवी को जोड़कर) के 18 प्रतिशत अंश को बी-हैवी के टर्म में आरक्षित शीरे के रूप में सम्भरित कराना होगा।

यदि कोई भी चीनी मिल अथवा समूह केवल बी-हैवी शीरे/सी-हैवी शीरे का अथवा बी-हैवी और सी-हैवी दोनों प्रकार के शीरे का उत्पादन करती है तो कुल शीरा उत्पादन का (बी-हैवी+सी-हैवी को जोड़कर) 18 प्रतिशत बी-हैवी शीरे के टर्म में आपूर्ति देशी मदिरा हेतु चीनी मिल अथवा चीनी मिल समूह द्वारा की जायेगी।

यदि किसी कारणवश आवश्यक मात्रा में बी-हैवी शीरे का सम्भरण सम्भव नहीं हो पाता है तो ऐसी स्थिति में निर्धारित बी-हैवी आरक्षित शीरे की आपूर्ति उसके समतुल्य सी-हैवी शीरा अथवा ई.एन.ए. (एक्सट्रा न्यूट्रल अल्कोहल) द्वारा करना होगा।

इस हेतु एक कुं. बी-हैवी शीरा, 1.38 कुं. सी-हैवी शीरा तथा एक कुं. सी-हैवी शीरा 0.73 कुं. बी-हैवी शीरा के समतुल्य माना जायेगा।

इसी प्रकार बी-हैवी शीरे से प्रति कुं. 31 ए.एल. अल्कोहल तथा सी-हैवी शीरे से प्रति कुं. 22.5 ए.एल. अल्कोहल रिकवरी के आधार पर आगणन किया जायेगा।

उदाहरण स्वरूप निम्न तालिका अवलोकनार्थ है, जिसमें तीन प्रकार की परिस्थितियों का उल्लेख किया गया है:-

क्र.सं.	श्रेणीवार उत्पादित शीरे की मात्रा (कुं.में)	कुल उत्पादित शीरे की मात्रा (कुं. में)	आरक्षित शीरे का आगणन (कुं. में)
केस 1	(1) बी-हैवी - 50 (2) सी-हैवी - 50	100	18 कुं. बी-हैवी शीरा अथवा 18 कुं. बी-हैवी शीरे के समतुल्य सी-हैवी शीरा या समतुल्य ई.एन.ए.
केस 2	(1) बी-हैवी - 100 (2) सी-हैवी - 0	100	18 कुं. बी-हैवी शीरा अथवा

			18 कुं. बी-हैवी शीरे के समतुल्य सी-हैवी शीरा या समतुल्य ई.एन.ए.
केस 3	(1) बी-हैवी - 0 (2) सी-हैवी - 100	100	18 कुं. बी-हैवी शीरा अथवा 18 कुं. बी-हैवी शीरे के समतुल्य सी-हैवी शीरा या समतुल्य ई.एन.ए.

5.1.2 सभी चीनी मिलें नीति के अनुसार आरक्षित शीरे की देयता के अनुरूप आरक्षित शीरे का निरन्तर एवं अनिवार्य रूप से सम्भरण सुनिश्चित करेंगी।

5.1.3(अ) चीनी मिलें आरक्षित शीरे के विक्रय हेतु शीरे की मात्रा प्रत्येक माह घोषित करेंगी।

(ब) देशी मदिरा निर्मित करने वाली आसवनियों को आरक्षित शीरे हेतु अपनी मांग समय से चीनी मिल को प्रस्तुत करनी होगी। चीनी मिल द्वारा आसवनी की मांग पर एक सप्ताह की अवधि में निर्णय लिया जाएगा तथा आसवनी द्वारा आवंटित आरक्षित शीरे का नियमित रूप से क्रय के 15 दिन के अन्दर विभागीय पोर्टल पर उठान की अनुमति हेतु आवेदन किया जायेगा।

(स) शीरा आवन्टी को शीरा सम्भरण हेतु विभागीय पोर्टल पर उठान की अनुमति प्राप्त होने के उपरान्त 30 दिवस के भीतर शीरे का सम्भरण या उठान किया जाना अनिवार्य होगा। आरक्षित शीरे का सम्भरण न कराये जाने पर शीरा नियंत्रक द्वारा अनारक्षित शीरे के सम्भरण पर आंशिक अथवा पूर्णतय: रोक लगायी जा सकती है। इसी प्रकार देशी मदिरा हेतु आवंटित आरक्षित शीरे का उठान सम्बन्धित आसवनी द्वारा निर्धारित समयान्तर्गत नहीं किये जाने की स्थिति में आसवनी के विरूद्ध सुसंगत नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

5.1.4 जिन चीनी मिल अथवा समूह की चीनी मिलों में शीरा वर्ष 2024-25 में प्रभावी शीरा नीति के अनुरूप आरक्षित शीरे का अवशेष स्टॉक उपलब्ध है, वे चीनी मिलें अथवा चीनी मिल समूह शीरा वर्ष 2025-26 में प्राथमिकता के आधार पर उक्तानुसार अवशेष आरक्षित शीरे का उठान कराना सुनिश्चित करेंगी।

5.1.5 (अ) समूह की चीनी मिलें उपरोक्तानुसार देय आरक्षण प्रतिशत के अनुरूप आरक्षित शीरे की आपूर्ति समूह की एक या एकाधिक चीनी मिलों से कर सकेंगी परन्तु यदि इससे देशी शराब की आपूर्ति बाधित होगी, तो यह सुविधा तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जायेगी।

(ब) पूर्वांचल जिसमें गोरखपुर, देवीपाटन, अयोध्या, आजमगढ़, वाराणसी, बस्ती तथा विन्ध्याचल मण्डल सम्मिलित है, में स्थित पेय आसवनियों द्वारा 25 से 30 प्रतिशत देशी शराब की आपूर्ति की जाती है। प्रदेश की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए पूर्वांचल की इन आसवनियों को समूह की चीनी मिलों द्वारा कम से कम पूर्वांचल स्थित एक चीनी मिल से आरक्षित शीरे की आपूर्ति करना अनिवार्य होगा।

5.1.6 शीरा वर्ष 2024-25 के अवशेष आरक्षित शीरे के समतुल्य मात्रा को बी-हैवी शीरे के टर्म में चीनी मिलों द्वारा देशी मदिरा की आसवनियों को ही विक्रय करते हुए अपनी इस अवशेष देयता को अनिवार्य रूप से माह जनवरी, 2026 तक शून्य करना होगा।

5.1.7 (अ) उपरोक्त आरक्षण की व्यवस्था इस शर्त के साथ निर्धारित की जाती है कि चीनी मिलों के चलने के उपरान्त शीरे की उपलब्धता एवं आरक्षित शीरे की देयता की स्थिति का

त्रैमासिक आधार पर मूल्यांकन किया जायेगा तथा यथास्थिति एवं यथावश्यकता, तत्समय शीरे की उपलब्धता एवं मदिरा की आवश्यकता के आधार पर यदि आरक्षण के प्रतिशत में किसी परिवर्तन (घटाने अथवा बढ़ाने) की स्थिति उत्पन्न होती है तो शासन स्तर पर यथावश्यकता समस्त तथ्यों पर समग्रता से विचार करके निर्णय लिया जायेगा।

(ब) आरक्षण का प्रतिशत घटाने की स्थिति में पुनर्निर्धारित आरक्षित मात्रा से अधिक सम्भरित की गयी आरक्षित शीरे की मात्रा, मूल निर्धारित आरक्षित शीरे की सीमा तक आगामी शीरा वर्ष में आरक्षित शीरा की देयता में समायोजित की जायेगी।

(स) शीरा वर्ष 2024-25 में आरक्षित शीरे के सम्भरण हेतु विभागीय पोर्टल से जारी होने वाले परमिट की वैधता शीरा वर्ष 2024-25 की समाप्ति पर अर्थात 31 अक्टूबर, 2025 को स्वतः समाप्त हो जायेगी।

5.1.8 देशी मदिरा निर्मित करने वाली आसवनियां तत्समय आसवनी में उपलब्ध आरक्षित शीरे के समायोजन के पश्चात् ही आरक्षित शीरा आवंटन हेतु मांग पत्र प्रस्तुत करेंगी।

5.2 वर्ष 2024-25 के अवशेष आरक्षित शीरे की देयता को अग्रेनीत किया जायेगा। पेराई सत्र के दौरान इसका अतिशीघ्र निस्तारण न होने पर इसकी गुणवत्ता में ह्रास होना स्वाभाविक है। अतः प्रदेश स्थित चीनी मिलों में वर्ष 2024-25 की उपलब्ध आरक्षित शीरे की अवशेष देयता की अग्रेनीत मात्रा को अनारक्षित अथवा स्वयं के उपभोग हेतु परिवर्तन करने की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि चीनी मिलें उक्त परिवर्तित मात्रा की भरपाई शीरा सत्र 2025-26 के उत्पादन से करेंगी तथा यह मात्रा शीरा नीति वर्ष 2025-26 हेतु देय आरक्षित मात्रा के अतिरिक्त होगी। उक्त के अतिरिक्त यह भी प्रतिबन्ध रखा जाय कि चीनी मिलों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि दिनांक 28.02.2026 को इस तिथि के सापेक्ष शीरा वर्ष 2025-26 हेतु आगणित आरक्षित शीरे की मात्रा के साथ-साथ गत वर्ष के अग्रेनीत आरक्षित शीरे की देयता में से शीरा वर्ष 2025-26 में सम्भरित आरक्षित शीरे की मात्रा घटाते हुए अवशेष देयता के बराबर शीरे का स्टॉक चीनी मिलों के पास उपलब्ध रहे।

5.2.1 शीरा वर्ष 2025-26 में कुल शीरा उत्पादन का (बी-हैवी+सी-हैवी को जोड़कर) 18 प्रतिशत अंश को बी-हैवी शीरे के टर्म में आरक्षित किया जायेगा, तद्रूप चीनी मिलों द्वारा आरक्षित व अनारक्षित शीरे के मध्य निकासी के अनुपात 1:4.55 का पालन करना अनिवार्य होगा। विशेष परिस्थितियों में चीनी मिलों की कार्यात्मक (Operational) कठिनाईयों के दृष्टिगत आरक्षित व अनारक्षित शीरे के मध्य निकासी के अनुपात में विचलन का अधिकार शीरा नियंत्रक एवं आबकारी आयुक्त में निहित होगा।

5.2.2 प्रत्येक मासान्त पर चीनी मिल समूह को अपने कुल वार्षिक देय आरक्षित शीरे की मात्रा का कम से कम 8 प्रतिशत सम्भरण सुनिश्चित कराना होगा तथा प्रचलित शीरा वर्ष के प्रत्येक त्रैमास में 25 प्रतिशत आरक्षित शीरा सम्भरण कराना बाध्यकारी होगा।

5.2.3 प्रत्येक चीनी मिल आगणित आरक्षित एवं अनारक्षित शीरे के विक्रय हेतु प्रत्येक माह ऑनलाइन शीरा पोर्टल पर टेण्डर/ विज्ञप्ति अपलोड करेगी। इसकी सूचना पोर्टल द्वारा स्वचालित ई-मेल के माध्यम से समस्त देशी मदिरा आसवनियों, शीरा अनुभाग, मुख्यालय तथा सम्बन्धित संयुक्त आबकारी आयुक्त, जोन, उप आबकारी आयुक्त, प्रभार एवं जिला आबकारी अधिकारी को प्रेषित की जायेगी।

5.2.4 यदि मदिरा निर्माता आसवनी अन्य पेय मदिरा या मिश्रित या औद्योगिक आसवनी से देशी मदिरा निर्माण के लिए ई.एन.ए. (एक्सट्रा न्यूट्रल अल्कोहल) प्राप्त करेंगी तो ऐसी ई.एन.ए.(एक्सट्रा न्यूट्रल अल्कोहल) प्राप्तकर्ता इकाई आपूर्ति की गयी ई.एन.ए. (एक्सट्रा न्यूट्रल अल्कोहल) की मात्रा के समतुल्य आरक्षित शीरे की मात्रा को स्वतः प्राप्तकर्ता इकाई के आरक्षित शीरे की मात्रा में घट जाने तथा आपूर्तक इकाई के आरक्षित शीरे की मात्रा में समायोजित किये जाने का सहमति पत्र ई.एन.ए.(एक्सट्रा न्यूट्रल अल्कोहल) क्रय करते समय देंगे। आपूतिकर्ता इकाई द्वारा ई.एन.ए. उत्पादन में प्रयुक्त कच्चे माल की स्वघोषणा विभागीय पोर्टल पर करना आवश्यक होगा। समतुल्य आरक्षित शीरे की मात्रा, आपूर्तक आसवनी को अथवा समूह द्वारा नामित समूह की अन्य आसवनी के लिए आरक्षित शीरे में समायोजित हो जायेगी तथा प्राप्तकर्ता ईकाई के आरक्षित शीरे की मात्रा में से घट जायेगी।

5.3 **अन्य राज्यों या राष्ट्रों को शीरे का निर्यात अथवा उनसे आयातः-**

अन्य राज्यों या अन्य राष्ट्रों को शीरे के निर्यात अथवा उनसे आयात के सम्बन्ध में निर्णय हेतु शीरा नियंत्रक की अध्यक्षता में पूर्व में गठित निम्नलिखित समिति को यथावत रखा जाता है:-

शीरा नियंत्रक/आबकारी आयुक्त	अध्यक्ष
अपर आबकारी आयुक्त (प्रशासन)	सदस्य
शासन द्वारा नामित एक प्रतिनिधि	सदस्य
गन्ना विभाग द्वारा नामित एक प्रतिनिधि	सदस्य
संयुक्त आबकारी आयुक्त (ई.आई.बी.)	सदस्य
उप आबकारी आयुक्त (उत्पादन)	सचिव/संयोजक

प्रदेश में शीरे की आवश्यकता के लिये पर्याप्त शीरा उपलब्ध होने पर ही शीरे के निर्यात की अनुमति दी जायेगी। निर्यात हेतु पूर्व की भांति उत्तराखण्ड राज्य को वरीयता दी जायेगी। शीरा वर्ष 2025-26 में उत्तराखण्ड राज्य की शीरा अथवा अल्कोहल आधारित रासायनिक इकाईयों को 25 लाख कुन्तल शीरे के निर्यात की अनुमति प्रदान की जाती है।

शीरा नीति वर्ष 2025-26 में अन्य राज्यों से शीरा आयात करने से पूर्व आयातक को शीरा नियंत्रक एवं आबकारी आयुक्त से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अन्य राष्ट्रों से शीरा आयात अथवा निर्यात करने हेतु शीरा आयातक अथवा निर्यातक को भारत सरकार द्वारा आयात अथवा निर्यात के सम्बन्ध में निर्धारित नीति एवं शर्तों का पालन करने के साथ आयात अथवा निर्यात की अनुमति शीरा नियंत्रक एवं आबकारी आयुक्त से प्राप्त करना अनिवार्य होगा। निर्यातक का रजिस्टर्ड एवं एक्सपोर्ट लाइसेंसधारक होना तथा विदेशी आयातक का अनुरोध उस देश के डिप्लोमेटिक चैनल से प्राप्त होना आवश्यक होगा। देश के बाहर शीरा निर्यात किये जाने का निर्णय प्रदेश में शीरे की उपलब्धता एवं आवश्यकता के आधार पर शीरा नियंत्रक एवं आबकारी आयुक्त, उ.प्र. द्वारा लिया जायेगा।

5.4 **शीरे पर विनियामक शुल्क:-**

शासनादेश संख्या-08/2022/2593 ई-2/तेरह-2021-1496326, दिनांक 07.01. 2022 के अन्तर्गत शीरा वर्ष 2021-22 में प्राविधानित किया गया था कि प्रत्येक चीनी मिल या तो अपनी निजी इकाई या किसी अन्य इकाई यथा आसवनी या किसी शीरा आधारित उद्योग को किये जाने

वाले समस्त प्रकार के शीरे के विक्रय या उसकी आपूर्ति पर रू. 20/- प्रति कुं. की दर से विनियामक शुल्क का भुगतान करेगी तथा प्रदेश में आयात किये जाने वाले शीरे पर आयातक उपरोक्त दर से विनियामक शुल्क का भुगतान करेगा, जिसे वर्ष 2025-26 में भी यथावत रखा जाता है।

5.5 **शीरा निधि की धनराशि का अन्तर इकाई हस्तान्तरणः-**

शीरा वर्ष 2025-26 में चीनी मिलों में जमा शीरा निधि की धनराशि शीरा नियंत्रक एवं आबकारी आयुक्त के आदेशों एवं निर्देशों के अनुरूप अवमुक्त की जाएगी। यदि कोई चीनी मिल अपनी समूह की अन्य चीनी मिल अथवा चीनी मिलों के खाते में जमा शीरा निधि की धनराशि को उपयोग हेतु अवमुक्त कराना चाहती है (अन्तर इकाई हस्तान्तरण) तो इसके लिए अनिवार्य रूप से शीरा नियंत्रक एवं आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश से अनुमति प्राप्त की जाएगी।

5.6 **खाण्डसारी इकाईयों द्वारा उत्पादित शीरे पर नियंत्रणः-**

1. समस्त खांडसारी चीनी विनिर्माण इकाई को आबकारी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा तथा प्रत्येक सम्भरण पर 20 रूपये प्रति कुं. की दर से विनियामक शुल्क जमा कराने के पश्चात् ही शीरे का सम्भरण किया जायेगा। यह प्राविधान समस्त खांडसारी विनिर्माण इकाई द्वारा उत्पादित समस्त शीरे पर लागू होगा।
2. समस्त खांडसारी चीनी विनिर्माणकर्ताओं द्वारा अपनी इकाई में उत्पादित होने वाले शीरे की स्वतः घोषणा की जायेगी। आबकारी विभाग के निर्धारित पोर्टल पर समय-समय पर शीरा उत्पादन/विक्रय की प्रविष्टि की जायेगी और यह सूचना पाक्षिक आधार पर सम्बन्धित जनपद के जिला आबकारी अधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी। समस्त खांडसारी चीनी विनिर्माण इकाईयों द्वारा उत्पादित शीरे का विक्रय एवं सम्भरण आबकारी पोर्टल के माध्यम से ही किया जाना अनिवार्य होगा। शीरे की स्वघोषणा गलत पाये जाने की स्थिति में आबकारी अधिनियम की सुसंगत धाराओं में कार्यवाही की जा सकती है।
3. प्रदेश में स्थित खांडसारी चीनी विनिर्माणकर्ता इकाईयों से उपोत्पाद के रूप में प्राप्त शीरा (जैसा कि उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण अधिनियम, 1964 (यथासंशोधित) में समय-समय पर परिभाषित किया जायेगा), पर उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण अधिनियम, 1964 (यथासंशोधित) के समस्त उपबन्ध लागू होंगे, किन्तु शीरा वर्ष 2025-26 में शीरा वर्ष 2024-25 की ही भांति खांडसारी विनिर्माणकर्ता इकाईयों द्वारा चीनी विनिर्माण के दौरान प्राप्त शीरा पर आरक्षण सम्बन्धी प्राविधान लागू नहीं होंगे।

5.7 **शीरे के उठान पर नियंत्रणः-**

प्रदेश की चीनी मिलों से सम्भरित कराये जाने वाले शीरे के उठान को नियंत्रित करने एवं सम्भरित शीरे का सही लेखा-जोखा रखने के उद्देश्य से शीरे का सम्भरण विभागीय पोर्टल के माध्यम से किया जायेगा तथा आसवनियों में शीरे की प्राप्ति तथा अल्कोहल का उत्पादन व निकासी तथा स्टॉक की समस्त सूचनाओं की व्यवस्था पोर्टल के माध्यम से पूर्व की भांति लागू रहेगी। इस हेतु विभागीय ऑनलाइन पोर्टल पर किये जाने वाले आवेदनों में इकाई द्वारा जी.एस.टी.एन. का उल्लेख किया जाना आवश्यक होगा।

5.8 **रूग्ण चीनी मिलों अथवा इकाईयों को छूट या रियायत दिये जाने के सम्बंध मेंः-**

शीरा वर्ष 2024-25 की भांति शीरा वर्ष 2025-26 मे भी रूग्ण चीनी मिल को यदि कोई छूट प्रदान की जाती है तो छूट मिलने की तिथि से रिहेबिलिटेशन पैकेज की अवधि तक उस चीनी

मिल में उत्पादित अथवा उपलब्ध शीरे पर शीरे का आरक्षण लागू नहीं होगा, परन्तु ऐसी चीनी मिलों को विनियामक शुल्क में किसी प्रकार की रियायत नहीं दी जायेगी, प्रतिबन्ध यह होगा कि सम्बन्धित चीनी मिल रिहेबिलिटेशन पैकेज की अवधि स्पष्ट करेगी एवं उससे सम्बन्धित सक्षम प्राधिकारी का प्रासंगिक आदेश उपलब्ध करायेगी। शासन द्वारा स्वीकृत व्यवस्था के अनुसार शीरा आरक्षण सम्बन्धी आवश्यक अनुमति, छूट या रियायत शीरा नियंत्रक के स्तर से प्रदान की जायेगी।

5.9 **शीरे पर आधारित लघु इकाईयां, जैसे यीस्ट, पशु आहार इत्यादि उत्पादक इकाईयों को शीरा आवंटन किये जाने के सम्बन्ध मेंः-**

प्रदेश में शीरे पर आधारित लघु इकाईयों को शीरे का आवंटन उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण अधिनियम-1964 (यथासंशोधित) में निहित व्यवस्था के अनुसार, शीरा नियंत्रक के स्तर से शीरा सत्र 2025-26 में किया जाएगा।

5.10 **शीरा नीति में व्यवहारिक परिवर्तन अथवा परिमार्जनः-**

शीरा नीति में केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा निर्गत आदेशों के अनुपालन हेतु अथवा व्यावहारिक कठिनाईयों को दूर करने के लिए परिवर्तन अथवा परिमार्जन के मामलों में अनुमति शासन द्वारा मा. आबकारी मंत्री के अनुमोदनोपरान्त प्रदान की जाएगी।

5.11 **केन जूस से एथनॉल निर्माण किये जाने की दशा में आरक्षित शीरे का आगणनः-**

यदि किसी चीनी मिल अथवा समूह द्वारा सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त होने के उपरान्त केन जूस से एथनॉल का उत्पादन किया जाता है तो केन जूस के उत्पादन हेतु पेरे गये गन्ने के 6.20 प्रतिशत बी-हैवी शीरे की रिकवरी के आधार पर आगणित मात्रा पर 18 प्रतिशत की दर से आरक्षित बी-हैवी शीरा अथवा इसके समतुल्य सी-हैवी शीरा अथवा समतुल्य ई.एन.ए. देय होगा, जिसकी आपूर्ति केन जूस से ऐथनॉल उत्पादक चीनी मिल द्वारा स्वयं अथवा समूह की किसी अन्य चीनी मिल द्वारा की जायेगी।

5.11.1 **केन जूस से ई.एन.ए. निर्माण किये जाने की दशा में आरक्षित शीरे का आगणनः-**

सहोदर चीनी मिलों द्वारा अपनी आसवनियों में सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त होने के उपरान्त यदि केन जूस से ई.एन.ए. (एक्सट्रा न्यूट्रल अल्कोहल) का निर्माण कर देशी मदिरा आपूर्तक आसवनियों को विक्रय किया जाता है तो इस सम्बन्ध में आपूर्ति किये गये ई.एन.ए. (एक्सट्रा न्यूट्रल अल्कोहल) के समतुल्य आरक्षित शीरे की गणना निम्न प्रकार से की जायेगी:-

(अ) गणनात्मक आरक्षित शीरे की मात्रा = पेरे गये गन्ने की मात्रा (कुं. में)× (6.20/100)×बी-हैवी शीरे का आरक्षण का प्रतिशत

(ब) आपूर्ति किये जाने वाले ई.एन.ए. की मात्रा (ए.एल. में) = गणनात्मक आरक्षित शीरा (बिन्दु अ के अनुसार)× 31

5.11.2 भविष्य में किसी चीनी मिल द्वारा व्युत्क्रमण (INVERSION) और सांद्रण (CONCENTRATION) के माध्यम से केन जूस/केन सीरप के उत्पादन और भण्डारण करने के विषय में सक्षम स्तर से नीतिगत निर्णय लिये जाने के पश्चात् इन उत्पादों पर भी शीरा आरक्षण के प्राविधान लागू होंगे, जैसा कि प्रस्तर-5.11.1 में दर्शाया गया है।

5.12 **बिलोग्रेड शीरे का निस्तारणः-**

शीरा नीति वर्ष 2023-24 में बिलोग्रेड शीरे के निस्तारण के लिए प्रदेश तथा प्रदेश के बाहर की वास्तविक शीरा उपभोक्ता इकाईयों, जिनका शीरा उपभोग किये जाने हेतु सम्बन्धित राज्य के आबकारी विभाग में पंजीकरण हो, उन्हें एवं प्रदेश में स्थित पशु आहार इकाईयों को बिलोग्रेड शीरा

आवंटित करने की व्यवस्था की गयी थी, जिसमें बिलोग्रेड शीरे के आवंटन में प्रदेश में स्थित कैटलफीड निर्माता इकाईयों को प्राथमिकता दिया जाना था। तत्पश्चात् प्रदेश के बाहर पशु आहार निर्माता इकाईयों तथा अन्त में अन्य वास्तविक शीरा उपभोग करने वाली इकाईयों को शीरा आवंटन की व्यवस्था की गयी थी। वर्ष 2025-26 में भी प्रदेश में स्थित चीनी मिलों तथा आसवनी में संचित बिलोग्रेड शीरा के निस्तारण हेतु शीरा नीति वर्ष 2023-24 के उपरोक्त समस्त प्राविधान यथावत लागू रहेगें।

5.13 **जले शीरे का निस्तारणः-**

प्रदेश की चीनी मिलों अथवा आसवनियों में जले हुए शीरे के निस्तारण की व्यवस्था बिलोग्रेड शीरे की भांति लागू होगी। जले हुए शीरे को, निर्धारित विनियामक शुल्क का 50 प्रतिशत जमा कर प्रदूषण सम्बन्धी प्राविधानों के अनुपालन सुनिश्चित करते हुए आसवनी में प्रयोग कर सकते हैं। अन्य उपभोक्ता इकाईयों हेतु पूर्ण दर पर विनियामक शुल्क जमा कराया जायेगा।

5.14 **शीरा नीति की वैधता अवधिः-**

शीरा नीति 2025-26 तब तक यथावत प्रभावी रहेगी, जब तक कि नई शीरा नीति की घोषणा नहीं कर दी जाती है।

5.15 **शीरे का परिवहनः-**

प्रदेश की चीनी मिलों में शीरे के उत्पादन, लोडिंग स्थल एवं प्रवेश/निकासी द्वार आदि पर अच्छी गुणवत्ता के सी.सी.टी.वी., ए.एन.पी.आर. कैमरा तथा शीरा नियंत्रक द्वारा विनिर्दिष्ट गुणवत्ता व प्रकार के अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों एवं सॉफ्टवेयर (Software) की व्यवस्था की जायेगी। संचालित कैमरों को आयुक्तालय के इन्टीग्रेटेड कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर (ICCC) से इन्टीग्रेट कराया जायेगा। स्थापित कैमरों की रिकार्डिंग तीन माह तक जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय में अनुरक्षित रखी जाएगी। शीरे के सदुपयोग तथा राजस्व को सुनिश्चित करने हेतु डिजी लॉक (Digi Lock) एवं जी.पी.एस. युक्त टैंकरों में ही शीरे का परिवहन किया जायेगा। इस सम्बन्ध में समय-समय पर शीरा नियंत्रक एवं आबकारी आयुक्त द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5.16 **शीरा आधारित नई औद्योगिक इकाईयों की उपभोग क्षमताः-**

आसवनियों के अतिरिक्त शीरा आधारित नई औद्योगिक इकाईयों की स्थापना के परिप्रेक्ष्य में शीरा नीति वर्ष 2020-21 में 1,00,000 कुन्टल प्रति वर्ष शीरा की मांग वाली इकाईयों के लिए निर्णय लेने का अधिकार आबकारी आयुक्त, उ.प्र. को दिया गया है। यह व्यवस्था शीरा नीति वर्ष 2025-26 में भी यथावत लागू रहेगी। 1,00,000 कु. प्रतिवर्ष से अधिक शीरा की मांग करने वाली इकाईयों के सन्दर्भ में निर्णय पूर्व की भांति शासन स्तर से लिया जायेगा।

5.17 **चीनी मिलों द्वारा शीरा संचित करने हेतु उपबन्ध तथा अन्य बिन्दुः-**

चीनी मिलों द्वारा शीरा संचित करते समय निम्नलिखित बिन्दुओं का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगाः-

(1) चीनी मिलें यह सुनिश्चित करेंगी कि उनके द्वारा संचित किया गया शीरा किसी भी तरह से लीक अथवा डिस्चार्ज होकर भूजल अथवा सतह जल में न मिले। साथ ही ऐसी व्यवस्था भी करेगी कि वायु प्रदूषण होने की सम्भावना न हो।

(2) चीनी मिलों में नियमानुसार उत्पादन क्षमता के अनुरूप शीरा संचय क्षमता को विकसित किया जायेगा, जिससे कच्चे पिटों में शीरा रखने की आवश्यकता न पड़े। अपरिहार्य परिस्थितियों

में ही चीनी मिलों के द्वारा कच्चे पिटों में शीरा संचय हेतु शीरा नियंत्रक एवं आबकारी आयुक्त, उ.प्र. से अनापत्ति प्रमाण पत्र या अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी। यह अनुमति सामान्तयः नहीं प्रदान की जायेगी, केवल विशेष परिस्थितियों में ही संगत नियमों के अन्तर्गत शास्ति रोपण के साथ ही प्रदान की जायेगी। कच्चे तथा खुले पिटों में संचित शीरे को सर्वप्रथम सम्भरित कराया जायेगा।

(3) कच्चे पिटों में संचित शीरे को मानसून सीजन से पहले अनिवार्य रूप से सम्भरित कर लिया जायेगा।

(4) चीनी मिलों से प्रवाहित होने वाले द्रव्य पदार्थ की गुणवत्ता का समय-समय पर परीक्षण किया जायेगा।

(5) सभी चीनी मिलों द्वारा Water (Prevention and Control of Pollution) Act,1974 में निहित प्रदूषण सम्बन्धी प्राविधानों तथा उपबन्धों का अनुपालन किया जायेगा।

(6) शीरा नीति वर्ष 2024-25 में चीनी मिलों में बी-हैवी अथवा सी-हैवी शीरे के भण्डारण हेतु निर्धारित शीरा टैंकों के परिवर्तन किये जाने का प्रोसेसिंग शुल्क रू. 5000/- जमा करने के पश्चात् किया जाना प्राविधानित है। यह व्यवस्था शीरा नीति वर्ष 2025-26 में भी यथावत लागू रहेगी।

(7) शीरा नीति वर्ष 2024-25 में शीरा नीति एवं शीरा आगणन के पर्यवेक्षण हेतु एक प्रोजेक्ट मानिटरिंग यूनिट (पी.एम.यू.) की स्थापना एवं इसमें NICSI द्वारा इम्पैनल 04 कम्प्यूटर प्रोग्रामर रखे जाने का प्राविधान वर्ष 2025-26 की शीरा नीति में भी लागू रहेगा।

(8) शीरा नीति वर्ष 2024-25 की भांति वर्ष 2025-26 में शीरा नीति एवं शीरा आगणन के पर्यवेक्षण हेतु सरकारी विभागों से सेवानिवृत्त 65 वर्ष तक की आयु के अनुभवी 04 कार्मिकों को एक मुश्त मासिक मानदेय पर कंसल्टेंट के रूप में रखा जायेगा। मानदेय की धनराशि अंतिम आहरित वेतन में से शुद्ध पेंशन (बिना राशिकरण के) की धनराशि घटाने के बाद प्रतिमाह होगी। इनकी तैनाती एवं मानदेय निर्धारण के संदर्भ में निर्णय लिये जाने हेतु आबकारी आयुक्त, उ.प्र. को अधिकृत किया जाता है।

(9) कार्य की सुगमता (Ease of doing business) के दृष्टिगत खाण्डसारी इकाईयों में संचित शीरे के संचय हेतु टैंक व अन्य विकल्पों के स्थान पर शीरा नियंत्रक एवं आबकारी आयुक्त, उ.प्र. द्वारा विहित संचय क्षमता के पात्रों की व्यवस्था की जायेगी तथा इस प्रकार संचित शीरे का स्टॉक का लेखा भरे हुये पात्रों की संख्या के अनुसार अनुरक्षित किया जायेगा। ऐसी खाण्डसारी चीनी विनिर्माण इकाईयों हेतु विहित पोर्टल पर एक आभासी शीरा संचय टैंक पंजीकृत किया जा सकेगा, जिसमें किसी भी समय संचित कुल शीरे की मात्रा कु. में प्रविष्टि की जायेगी। पोर्टल पर तदनुसार ही भरे हुये पात्रों की संख्या भी अंकित की जायेगी। खाण्डसारी चीनी विनिर्माण इकाईयों से शीरे की निकासी शीरा नियंत्रक द्वारा विहित क्षमता के छोटे-छोटे पात्रों में जी.पी.एस. युक्त अन्य उपयुक्त वाहनों द्वारा भी किया जाना अनुमन्य होगा।

(10) चीनी मिल में प्रशासनिक दृष्टिकोण से प्रभारी अधिकारी, चीनी मिल के रूप में उप आबकारी निरीक्षक का पद रिक्त होने की स्थिति में आबकारी निरीक्षक भी प्रभारी अधिकारी, चीनी मिल का कार्य सम्पादित करेंगे।

(11) चीनी मिलों में शीरा संचय टैंकों में शीरे की मात्रा के शुद्ध आंकलन हेतु 2-2 से.मी. की गहराई पर गेजिंग की व्यवस्था की जाएगी।

h

(12) राजस्वहित में चीनी मिल में उत्पादित शीरे की मात्रा पर प्रभावी नियंत्रण के दृष्टिकोण से चीनी मिल में किसी शीरा वर्ष में संग्रहीत शीरे की कुल मात्रा के 02 प्रतिशत के स्थान पर 1.5 प्रतिशत संग्रह छीजन अनुमन्य होगा।

(13) राजस्वहित में अनिश्चित कालीन बन्द शीरा आधारित औद्योगिक इकाईयों में अप्रयुक्त शीरे के निस्तारण का निर्णय शीरा नियंत्रक द्वारा लिया जाएगा।

(14) राजस्वहित में शीरे पर प्रभावी नियंत्रण हेतु परिवहन में छीजन की अनुमन्य सीमा 01 प्रतिशत के स्थान पर 0.5 प्रतिशत निर्धारित की जाती है।

(15) शीरा वर्ष 2025-26 में प्रत्येक पी.डी.-2 अनुज्ञापन प्राप्त आसवनी में शीरा संचय की उचित आवश्यक क्षमता का निर्धारण करते हुये तदनुसार आवश्यक शीरा संचय क्षमता हेतु टैंकों की स्थापना कराया जाना आवश्यक होगा।

अतः कृपया उपरोक्तानुसार शीरा वर्ष 2025-26 के लिए निर्धारित शीरा नीति का अनुपालन सुनिश्चित कराने एवं सर्वसंबंधित को आवश्यक निर्देश तत्काल निर्गत करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(दुर्गा सिंह)
उप सचिव।